

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली

पत्र सं०/मान्यता/

प्रबन्धक,

26/7/19

/2015-16 दिनांक-

3-2-16

देवा इंटरनेशनल स्कूल, प्रेर पंडित, बेह्यंकवां, लाहौंज,  
रायबरेली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके तारीख 1.9.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै देवा इंटरनेशनल स्कूल, प्रेर पंडित, बेह्यंकवां, लाहौंज, रायबरेली को तारीख 2015-16 से तारीख 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।  
(अंग्रेजी माध्यम)

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेंगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

PRINCIPAL  
J. V. FATEHPUR

सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।

प्राचार्य/Principal  
केन्द्रीय विद्यालय  
Kendriya Vidyalaya  
उन्नाव/Unnao

विद्यालय किसी बालकों को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।  
विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:  
(1)-प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

कमरा:.....2

PRINCIPAL

*Hark*

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

*Manish Kumar Tiwari*

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

MANAGER

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

*Manish Kumar Tiwari*

Manager

Principal



(2)-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।

(3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्डपरीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)-अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)-अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

(7)-अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। खेण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानसार अन्तिम निरीक्षण के समय की रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

66927 वर्ग फीट

कुल निर्मित क्षेत्र

31419 वर्ग फीट

कीडा स्थल का क्षेत्रफल

35528 वर्ग फीट

कक्षाओं की संख्या

14

प्राध्यापक-सहकार्यालय-सह भण्डारगृह की लिये कक्ष

04

बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक शौचालय

08 (अलग-अलग)

पेयजल सुविधा

है

मिड डे मील पकाने के लिये रसोई

है

बाधारहित पहुँच

है

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

है

9- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं झलायी जायेगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।  
कमरा:.....3

PRINCIPAL  
J.N.V., FATEHPUR

प्रभार/Principal  
केन्द्रीय विद्यालय  
Kendriya Vidyalaya  
उन्नाव/Unnao

Dewa International School

Principal

PRINCIPAL  
DEWA INTERNATIONAL SCHOOL  
Manish Kumar Tiwari

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL  
Dewa International School

Manager  
Manish Kumar Tiwari



- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 116.... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्नक उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रायबरेली

पू0सं0 / मान्यता / 2015-16

तददिनांक 1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) षष्ठ मण्डल लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रायबरेली

PRINCIPAL  
J.N.V., FATEHPUR

PRINCIPAL  
J.N.V., FATEHPUR

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

Manish Kumar Tiwari  
MANAGER

PRINCIPAL

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

Dewa International School

Principal

Dewa International School

Manish Kumar Tiwari  
Manager